न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन् सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – नयन गौतम, आई.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 27/2025

अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

अमित सिडाना पुत्र श्री भगवान दास सिडाना जाति अरोड़ा आयु 41 वर्ष निवासी 118 पी ब्लॉक, श्रीगंगानगर (राजस्थान)

.....वादी

बनाम

1. भगवान दास पुत्र श्री मिलखी राम जाति अरोड़ा आयु 68 वर्ष निवासी 118 पी ब्लॉक, श्रीगंगानगर (राजस्थान) ।
2. अनीता पुत्री श्री भगवान दास पत्नी श्री गोरव कुमार जाति अरोड़ा आयु 42 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 10, दुर्गा कालोनी, हनुमानगढ (राजस्थान) ।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर ।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित– अधिवक्ता श्री नवजीत सिंह पन्नू — वादी
अधिवक्ता श्री हरमन सिंह — प्रतिवादी 1 व 2
पैरोकार राज — प्रति.–3

–:: निर्णय ::–

दिनांक 24.12.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादी कालान्तर में गांव 23 एम एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर में निवास करता था तथा वर्तमान में 118 पी ब्लॉक, श्रीगंगानगर में निवास कर रहा है, वादी व उसके परिवार का जीवन निर्वाह केवल खेती पर निर्भर है तथा वादी खुद काश्त करता है। वादी का रजिस्टर्ड पता वही है, जो कि व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 6 नियम 14 (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत अपेक्षित है तथा वाद पत्र के शीर्षक में अंकित है। वाद पत्र 2 प्रतियों में पेश किया जा रहा है तथा वाद पत्र के समर्थन में शपथ–पत्र संलग्न है । चक 23 एम एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 80/71 का मुरब्बा नम्बर 13 की कुल 2.973 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि व इसी चक 23 एम एल का खाता संख्या 81/72 का मुरब्बा नम्बर 7, 11 व 26 की कुल 11.576 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 1203/11576 हिस्सा यानि 1. 203 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि व इसी चक 23 एम एल का खाता संख्या 49/42 का मुरब्बा नम्बर 11 की कुल 0.506 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा यानि 0.253 हैक्टेयर नहरी मय कृषि भूमि, इस प्रकार तीनों खातों की कुल 4.429 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबन्दी सम्बत 2073–2076 संलग्न परिवाद पत्र है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादी संख्या 1 भगवान दास, वादी का पिता है, वादी के पिता भगवान दास प्रतिवादी संख्या–1 ने अपनी चक 23 एम एल का खाता संख्या 81/72 का मुरब्बा नम्बर 7, 11 व 26 की कुल 11.576 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 1203/11576 हिस्सा यानि 1.203 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि व इसी चक 23 एम एल का खाता संख्या 49/42 का मुरब्बा नम्बर 11 की कुल 0.506 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा यानि 0.253 हैक्टेयर नहरी मय कृषि भूमि, इस प्रकार कुल 1.456 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि घरू बंटवारानामा के अनुसार द्वारा वादी को दी हुई है, जिस पर वादी पिछले काफी अर्सा से काबिज है। उक्त वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व वादी की पैतृक सम्पत्ति हैं तथा जद्दी जायदाद होने के कारण इसमें वादी की बहिन अनीता का 1/2 हिस्सा बनता है। वादी की बहिन का वादी से बहुत स्नेह व लगाव है तथा वादी की बहिन अनीता शादीशुदा हैं तथा उसने अपना हिस्सा वादी को देने का कहा हुआ है। इस प्रकार से उक्त 1.456 हैक्टेयर कृषि भूमि वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 व वादी की बहिन अनीता की मुश्तरका खाता की भूमि है तथा कब्जा मौका पर घरू बंटवारानामा के अनुसार वादी का चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1, वादी व वादी की बहिन यानि प्रतिवादी संख्या 2 अनीता से नाराज हो गया है तथा वह उक्त वर्णित कृषि भूमि को मुन्तकिल/विक्रय करने पर उतारू है तथा वादी को हक व न्याय नही देना चाहता है। प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि को मुन्तकिल/विक्रय करने की कोशिश में है तथा उसने बिकवाली भी निकाल रखी है तथा उसने वादी को दिनांक 31.01.2025 को धमकी दी हैं कि वह उक्त रकबा को बेच देंगा तथा तुछे कुछ भी नहीं देंगा। तुमने जो करना है कर लो। यदि प्रतिवादी संख्या 1, उक्त आराजी को विक्रय/मुन्तकिल करने में सफल हो गया तो वादी अपने हक वा हिस्सा से वंचित हो जाएगा तथा वादी बिना वजह मुकदमाबाजी में फंस जाएगा तथा वादी अपनी बहिन के हिस्सा, जो वह वादी को देना चाहती है, से भी वंचित हो जावेगा तथा बिना वजह मुकदमाबाजी में फंस जाएगा, इसलिए यह दावा लाना आवश्यक हो गया है। उक्त हालातों मे उक्त जद्दी जायदाद में से वादी अपने अधिकारों की घोषणा करवाना चाहता है तथा घरू बंटवारानामा के अनुसार उक्त रकबा स्वयं के नाम से खातेदारी घोषित करवाना चाहता है।2. प्रतिवादी संख्या–1 भगवान दास सिडाना पुत्र श्री लिखमी राम का हिस्साःदृ चक 23 एम एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 80/71 का मुरब्बा नम्बर 13 की कुल 2.973 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि। वादी एवं प्रतिवादीगण ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर यह राजीनामा किया है। वादीगण स्वेच्छा वा सहमति से उक्त वर्णित अनुसार बंटवारा करवाना चाहते हैं तथा मौका पर वादी एवं प्रतिवादीगण उक्त वर्णित अनुसार काबिज है तथा इस राजीनामा पर पूर्ण रूप से सहमत हैं तथा बंटवारा भूमि की अधिक उपजाउ व कम उपजाउ किस्मों को ध्यान में रखते हुए अपनी स्वेच्छा से किया है। अतः उक्त वर्णित अनुसार बंटवारा की डिक्री जारी कर दी जावे व राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान को कोई उजर वा एतराज ना होगा। लिहाजा यह राजीनामा प्रथम पक्षकार व द्वितीय पक्षकारान ने अपने पूर्ण होशो हवास स्थिर बुद्धि व साब्ते अक्ल के तहरीर करवा कर अपने हस्ताक्षर/अंगूठा निशान किये है ताकि वक्त जरूरत काम आवे। उक्त आराजी अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के अन्तर्गत आता है तथा उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। प्रतिवादी संख्या 03 लैण्ड होल्डर होने के कारण आवश्यक पक्षकार है, तथा उसे पक्षकार बनाया गया है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जावेः–

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

(1) चक 23 एम एल का खाता संख्या 81/72 का मुरब्बा नम्बर 7, 11 व 26 की कुल 11. 576 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 1203/11576 हिस्सा यानि 1.203 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि व इसी चक 23 एम एल का खाता संख्या 49/42 का मुरब्बा नम्बर 11 की कुल 0.506 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा यानि 0.253 हैक्टेयर नहरी मय कृषि भूमि, इस प्रकार कुल 1.456 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जावे।
(2) प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ इस अमल की स्थाई डिक्री जारी की जावे कि वह उक्त आराजी को बैय व हस्तान्तरण करने से बाज व ममनू रहे ।
(3) प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा अपना अपना हिस्सा वादी को देने पर उसको भी वादी के नाम से दर्ज किया जावे तथा कब्जा दिलाया जावे।
(4) खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।
(5) अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे ।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा में अंकित तथ्यानुसार इस प्रकरण में गांव के मौजूज व्यक्तियों ने वादी एवं प्रतिवादीगण का आपस में राजीनामा करवा दिया है, अब वादी एवं प्रतिवादी के मध्य कोई मनमुटाव नहीं रहा है तथा पंचायत द्वारा वादी एवं प्रतिवादी की आपसी सहमति से भूमि का बंटवारा करवा दिया है तथा बंटवारा अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण को निम्न प्रकार से भूमि प्राप्त हुई है–

1. वादी अमित सिडाना पुत्र श्री भगवान दास सिडाना का हिस्साः–
चक 23 एम एल का खाता संख्या 81/72 का मुरब्बा नम्बर 7, 11 व 26 की कुल 11.576 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 1203/11576 हिस्सा यानि 1.203 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि व इसी चक 23 एम एल का खाता संख्या 49/42 का मुरब्बा नम्बर 11 की कुल 0.506 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा यानि 0.253 हैक्टेयर नहरी मय कृषि भूमि, इस प्रकार कुल 1.456 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि।

1. प्रतिवादी संख्या–1 भगवान दास सिडाना पुत्र श्री लिखमी राम का हिस्साः–
चक 23 एम एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 80/71 का मुरब्बा नम्बर 13 की कुल 2.973 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि ।

यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर यह राजीनामा किया है। वादीगण स्वेच्छा वा सहमति से उक्त वर्णित अनुसार बंटवारा करवाना चाहते हैं तथा मौका पर वादी एवं प्रतिवादीगण उक्त वर्णित अनुसार काबिज है तथा इस राजीनामा पर पूर्ण रूप से सहमत हैं तथा बंटवारा भूमि की अधिक उपजाउ व कम उपजाउ किस्मों को ध्यान में रखते हुए अपनी स्वेच्छा से किया है। अतः उक्त वर्णित अनुसार बंटवारा की डिक्री जारी कर दी जावे व राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान को कोई उजर वा एतराज ना होगा ।
लिहाजा यह राजीनामा प्रथम पक्षकार व द्वितीय पक्षकारान ने अपने पूर्ण होशो हवास स्थिर बुद्धि व साबते अक्ल के तहरीर करवा कर अपने हस्ताक्षर/अंगूठा निशान किये है ताकि वक्त जरूरत काम आवे

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 चक 23 एम एल, पटवार हल्का लठावाली, भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 49/42, जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 चक 23 एम एल, पटवार हल्का लठावाली, भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 81/72, जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 चक 23 एम एल, पटवार हल्का लठावाली, भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 80/71 पेश की गई। प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक सहमति हो चुकी है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तवेजात, जमाबन्दी साक्ष्यों के अवलोकन से न्यायालय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य पाता है।

हमने इस सम्बंध में आरआरडी 1981 पेज 512, आरटीए की धारा 40–53, 38–39–40, आरआरडी 1966 पेज 71, एआईआर 1976 (एससी) पेज 807 व 178, आरआरडी पेज 219 आरआरडी 1975–478, एआईआर 1966 (एससी) 432 आरआरडी 1975 पेज 489 की नजीरों का अवलोकन किया।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्यु) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। हिन्दु उतराधिकार विधि के अनुसार वारिसान का पैतृक सम्पंति में जन्म से ही अधिकार है।

मुताबिक एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो, पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है।

–:: आदेश ::–

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादी अमित सिडाना पुत्र श्री भगवान दास सिडाना को चक 23 एम एल का खाता संख्या 81/72 का मुरब्बा नम्बर 7, 11 व 26 की कुल 11.576 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 1203/11576 हिस्सा यानि 1.203 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि व इसी चक 23 एम एल का खाता संख्या 49/42 का मुरब्बा नम्बर 11 की कुल 0.506 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा यानि 0.253 हैक्टेयर नहरी मय कृषि भूमि, इस प्रकार कुल 1.456 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है एवम् प्रतिवादी संख्या–1 भगवान दास सिडाना पुत्र श्री लिखमी राम को चक 23 एम एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 80/71 का मुरब्बा नम्बर 13 की कुल 2.973 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि के बैंक रहन मुक्त होने की दशा में नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 24.12.2025 को जारी केया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नयन गौतम)आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन् सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner